<u>न्यायालयः-सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।</u>

मूलवाद संख्या-120/2024

CNR No UPBB180001642024

परमानन्द मिश्रा बनाम पवन कुमार

<u>01.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की ओर से सुलह की सम्भावना से इन्कार किया गया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित प्रश्नगत भूमि गाटा सं० 1058 रक्बा 02360 हे०, गाटा सं० 658 रक्बा 1.0120 हे०, गाटा सं० 660 रक्बा 0.1650 हे०, गाटा सं० 716 रक्बा 0.0790 हे०, गाटा सं० 799 रक्बा 0.0510 हे०, गाटा सं० 801 रक्बा 0.1770 हे०, गाटा सं० 659 रक्बा 0.1000 हे०, का मालिक काबिज व दखील है?
2. क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है?
3. क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
4. क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
5. क्या दावा वादी कालबाधित है?
6. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा अन्य वाद बिन्दु विरचित होने पर बल दिया गया है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 हेतु दिनांक 01.04.2025 को पेश हो।

(डॉ० प्रीति भास्कर)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,

न्यायालय सं० 14, बाराबंकी।